

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(116)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/97/ 1865

दिनांक : 26-2-18

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा के निम्नांकित अधिकारी उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 3 में अंकित जन्म दिनांक के आधार पर कॉलम संख्या 4 में अंकित दिनांक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने जा रहे हैं।

अतः निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के उप नियम 56 के अन्तर्गत उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि से सेवानिवृत्त माना जावेगा।

उक्त अधिकारी अपने पद का कार्यभार पदस्थापन सेवा निवृत्त तिथि के समय निकटतम वरिष्ठतम राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारी को संभलाकर अनुपालना रिपोर्ट भेजेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इनकी सेवापुस्तिका पूर्ण करते हुए बकाया लेनदारियों की इनके सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्ति से पूर्व ही वसूली की कार्यवाही की जाये।

| क्र.सं. | नाम अधिकारी व वर्तमान पदस्थापित नगर निकाय                                     | जन्म दिनांक | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक | सेवा निवृत्ति दिनांक |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.      | 2.                                                                            | 3.          | 4.                                   | 5.                   |
| 01.     | श्री शिखर चन्द जैन, अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय, नगर निगम, जयपुर                  | 06.06.1958  | 06.06.2018                           | 30.06.2018           |
| 02.     | श्री शिव भगवान गठाला, आयुक्त, नगर परिषद, भिवाडी                               | 19.07.1958  | 19.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 03.     | श्री पुरुषोत्तम अवस्थी, अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय, नगर पालिका, खेतडी            | 01.08.1958  | 01.08.2018                           | 31.07.2018           |
| 04.     | श्री इन्द्र सिंह राठीड, अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय, नगर परिषद, पाली              | 04.07.1958  | 04.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 05.     | श्री अब्दुल हक पठान, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय, नगर निगम, जयपुर                   | 15.07.1958  | 15.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 06.     | श्री महेश चन्द जैन, राजस्व अधिकारी-प्रथम, नगर पालिका, खेरली                   | 14.07.1958  | 14.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 07.     | श्री राम सहाय मीणा, राजस्व अधिकारी-प्रथम, नगर निगम, जयपुर                     | 08.07.1958  | 08.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 08.     | श्री कंदार नाथ गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकारी, चयनित बेलनमान, नगर परिषद, हनुमानगढ़ | 04.07.1958  | 04.07.2018                           | 31.07.2018           |
| 09.     | श्री प्रहलाद राय वर्मा, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय, नगर परिषद, सिरौही              | 10.08.1958  | 10.08.2018                           | 31.08.2018           |
| 10.     | श्री हेमन्त सैन, कर निर्धारक, नगर निगम, जयपुर                                 | 01.10.1958  | 01.10.2018                           | 30.09.2018           |
| 11.     | श्री आलोक चौधरी, आयुक्त हाल निदेशालय                                          | 20.09.1958  | 20.09.2018                           | 30.09.2018           |
| 12.     | श्री पदम सिंह नरुका, अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय, नगर परिषद, भीलवाडा              | 28.09.1958  | 28.09.2018                           | 30.09.2018           |
| 13.     | श्री हबीब अहमद खान, अग्नि शमन अधिकारी, नगर निगम, अजमेर                        | 01.12.1958  | 01.12.2018                           | 30.11.2018           |
| 14.     | श्री कमलेश मीणा, कर निर्धारक, नगर निगम, जयपुर                                 | 01.01.1959  | 01.01.2019                           | 31.12.2018           |
| 15.     | श्री सोम प्रकाश मिश्रा, कर निर्धारक, नगर पालिका, सिरौही                       | 21.01.1959  | 21.01.2019                           | 31.01.2019           |

4



|     |                                                              |            |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 16. | श्री बबूर राम मीणा, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, नगर परिषद, अलवर | 01.03.1959 | 01.03.2019 | 28.02.2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

इसके अतिरिक्त श्री भीखा राम जोशी, कर निर्धारक, नगर पालिका, भीनमाल की दिनांक 25.01.2018 को असामयिक निधन होने के कारण इन्हें पालिका सेवा से दिनांक 25.01.2018 से निर्देशानुसार सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपरोक्त अधिकारियों की सेवा नियुक्ति तिथि से पूर्व किसी भी प्रकार की ए.सी.बी. जांच/विभागीय जांच अन्तर्गत राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 व 17 अंतिम निर्णय नहीं होने तथा यथावत विचाराधीन रखते हुए ही सेवानिवृत्ति मानी जायेगी एवं किसी भी प्रकार की वसूल व दण्डनीय राशि जो उठाई गई हो, समायोजन नहीं कराये जाने पर नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्ति अथवा पेंशन ग्रेच्युटी इत्यादि राशि से वसूल/काटी जानी योग्य होगी।

501 -  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.1(क)(116)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./97/ 1866-2122 दिनांक: 26-2-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माओ मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक महोदय, निदेशालय।
04. मुख्य लेखाधिकारी (लेखा/पेंशन अनुभाग) निदेशालय, जयपुर।
05. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
06. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी की प्रथम नियुक्ति से अब तक के दौरान आपके क्षेत्राधिकार की नगर निकाय में यदि किसी प्रकार की अग्रिम राशि ली गई हो एवं उसका समायोजन अभी तक नहीं कराया गया हो, किसी जांच में निकाय को हानि पहुंचाई गई हो, जिसकी वसूली की जानी है इस संदर्भ में प्रथम दृष्टया सेवा पुस्तिका मंगवाई जाकर दण्डादेश छुपाया गया हो तो पदस्थापित रहे निकायों को पत्र भेजकर सूचना प्राप्त कर कर ली जावे एवं उनके वेतन से काटी गई राशि, जीपीएफ, ग्रेच्युटी एवं बकाया वेतन के संदर्भ में शीघ्र नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही का जावे।
07. प्रभारी अधिकारी (आरएमएस जांच)/सहायक निदेशक सतर्कता, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध जांच एवं दण्डादेश हानि के संदर्भ में नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जावे।
08. समस्त महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ समस्त राजस्थान।
09. संबंधित श्री.....पद.....नगर निगम/परिषद/पालिका.....को भेजकर लेख है कि सेवा पुस्तिका में अविलम्ब सम्पूर्ण पूर्ति कराई जाकर भिजवाई जावे एवं आप द्वारा पदस्थापन के दौरान किसी भी की अग्रिम राशि/बकाया राशि का समायोजन नहीं कराया हो तो शीघ्र समायोजन करावे।
10. निदेशक पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग निदेशालय।
13. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक